UPGK010063962026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या– 01, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2875/2026

सुनील कुमार गुप्ता पुत्र जगरनाथ गुप्ता, साकिन– पकड़ी, थाना– गगहा, जिला– गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०– 595/2025
अंतर्गत धारा– 419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0
व धारा– 13(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम
थाना– गगहा, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक– 14.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **सुनील कुमार गुप्ता** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि उच्चाधिकारीगण से अभियोग पंजीकृत करने के सबंध में अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त पासपोर्ट धारक सुनील कुमार गुप्ता पुत्र जगरनाथ गुप्ता निवासी ग्राम पकडी पोस्ट खिरकिटा दूबे थाना गगहा जनपद गोरखपुर द्वारा छलपूर्वक व धोखाधड़ी करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट संख्या R1053085 व S3601001 में अपना नाम, पिता का नाम व जन्मतिथि में परिवर्तन कर अलग–अलग दो पासपोर्ट बनवाया गया है। जिसमें कि पासपोर्ट संख्या R1053085 में SUNIL KUMAR GUPTA S/O JAGARNATH GUPTA, MOTHER NAME BHAGWANI DEVI जन्मतिथि 10.05.2000 VILL PAKARI POST KHIRKITA DUBEY PIN 273412 GORAKHPUR UTTAR PRADESH पासपोर्ट जारी करने की तिथि 04.07.2017 समाप्ति की तिथि 03.07.2027 फाइल नंबर LK1061152147217 अंकित है तथा पासपोर्ट संख्या S3601001 का धारक SUNIL S/O JAGAR NATH MOTHER NAME BHAGWANI DEVI VILL PAKRI POST KHIRKITA DUBEY PIN 273412 GORAKHPUR जन्मतिथि 02.06.1994 पासपोर्ट जारी होने की तिथि 30.01.2019 समाप्ति की तिथि 29.01.2029 फाइल नंबर LK 1063246280019 अंकित है जिसकी जाँच से पाया गया कि पासपोर्ट संख्या R1053085 व S3601001 एक ही व्यक्ति का है, जिसके द्वारा छलपूर्वक धोखाधड़ी करके नाम पिता का नाम व जन्मतिथि आदि में परिवर्तन कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बनवाकर उपभोग किया जा रहा है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप असत्य एवं निराधार है। प्रार्थी द्वारा उक्त धारा का कोई जुर्म नहीं किया है। प्रार्थी को महज झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी को परेशान करने की गरज से फर्जी एवं झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध मात्र विद्वेषवश मुकदमा और कुछ लोग जो प्रार्थी के दुश्मन है, उनके द्वारा गलत तथ्य बताकर फर्जी तौर पर गलत मुकदमा लिखा दिया गया है। प्रार्थी का प्रथम पासपोर्ट बैन हो गया था और प्रार्थी के नाम, पता पर द्वितीय पासपोर्ट जारी कराया और प्रार्थी को एजेन्ट द्वारा दूसरा पासपोर्ट जारी कराया गया और प्रार्थी किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। प्रथम पासपोर्ट बैन होने के बाद एजेन्ट द्वारा दूसरा पासपोर्ट जारी कराया था। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कूटरचित दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। जबकि सही नाम, पते पर पासपोर्ट बनवाया गया है। प्रार्थी का प्रथम पासपोर्ट, पासपोर्ट आफिस द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसका कागजात प्रार्थी के पास है। प्रार्थी बहुत गरीब व्यक्ति है। अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद भागने की सम्भावना नहीं है।उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों (केस डायरी के पर्चा संख्या–01 से पर्चा संख्या–12 तक एवं प्रस्तरवार आख्या) का अवलोकन किया।

6. आहूत की गयी केस डायरी एवं प्रपत्रों से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके नाम, पिता के नाम एवं जन्मतिथि में परिवर्तन कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दो अलग अलग पासपोर्ट संख्या– R1053085 व S3601001 का उपभोग किया जाना बताया गया है। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाये जाने के संबंध में की गयी जांच सही पाये जाने पर पुलिस उच्चाधिकारीगण की संस्तुति के पश्चात आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है। मामले में विवेचना प्रचलित है। आक्षेपित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्त इस स्तर पर न्यायालय को यह समाधान कराने में असफल रहा है कि वह पूर्णतयाः निर्दोष है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा (2014)2 एस.सी.सी. 171** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि धारा–438 के अधीन न्यायालय के द्वारा शक्तियों का प्रयोग प्रकृति में असाधारण है। इसका प्रयोग केवल अपवादजनक मामलों में किया जाना है।

> *"जहां यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाया जा सकता है अथवा जहां यह धारित करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि किसी अपराध के अभियुक्त का अपनी अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की सम्भावना नहीं है।"*

इसी क्रम में **पी. चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2020 (1) सी.सी.एस.सी 2 (एस.सी)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में यह अवधारित किया है कि अग्रिम जमानत की स्वीकृति की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय थोड़ा सावधान रहे। उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"अग्रिम जमानत केवल अपवादित मामले में ही प्रदान की जा सकती है, जहां आरोप आधारहीन हो। यह न्यायालय की असाधारण शक्ति है, जिसका उपयोग समुचित मामले में यदा–कदा की जानी चाहिए।

अतः उपरोक्त प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के आलोक में तथा प्रश्नगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को विचार में लेते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने का समुचित आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता द्वारा मु०अ०सं०–595/2025, अंतर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0व धारा– 13(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम, थाना–गगहा, जनपद–गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 14.07.2026

(प्रतीक्षा नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या– 01,
गोरखपुर।
JO Code – UP 2399

Digitally signed by PRATIKSHA NAGAR
Date: 2026.07.14 16:42:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court